राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग

स्रोत: पी.आई.बी.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) के कार्यकाल को तीन वर्षों के लिये अर्थात् **31 मार्च 2028** तक बढ़ाने को स्वीकृति दे दी है।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK)

- **गठन: NCSK अधिनियम, 1993** के तहत वर्ष **1994 में इस आयोग का गठन** किया गया जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत वर्ष 2004 में एक **असांविधिक निकाय** बन गया।
- **संरचना:** अध्यक्ष (राज्यमंत्री श्रेणी), उपाध्यक्ष, 5 सदस्य (1 महिला सहित)।
- **अधिदेश:**
  - सफाई कर्मचारियों के **कल्याण और पुनर्वास** के लिये नीतियों की अनुशंसा करना।
  - विभिन्न योजनाओं और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 जैसे अधिनियमों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करना।
  - शिकायतों और नीतिगत खामियों की जाँच करना।
  - सीवर में मृत्यु होने की दशा में **30 लाख रुपए तथा दिव्यांगता होने पर 10 से 20 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति** सुनिश्चित करना (सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, 2023)।
- **कार्य:** क्षेत्र का दौरा, शिकायत निवारण, नीति समीक्षा, स्वप्रेरणा से कार्रवाई, बैठक आयोजन और मंत्रालय को सूचना देना।

सफाई कर्मचारियों के लिये योजनाएँ:

- **नमस्ते योजना:** इसका उद्देश्य सेप्टिक टैंक श्रमिकों की प्रोफाइलिंग करना, व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण, सुरक्षात्मक किट और स्वास्थ्य बीमा (AB-PMJAY) प्रदान करना है।
- **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC):** यह **सफाई कर्मचारियों और उनके परिवारों** के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिये **रियायती ऋण और वित्तीय सहायता** प्रदान करता है।

और पढ़ें: राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/national-commission-for-safai-karamcharis-1